कार्यालय संयुक्त संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर

क्रमांक...165.../नग्रानि/स्था0/14 जबलपुर दिनांक ...01./09/2014

प्रति,

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

विषयः– संविदा के वाहन चालक पद की आफलाईन पूर्ति हेतु संचालनालय की बेवसाईट पर विज्ञापन अपलोड करने बावद।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क. 3210/स्था./भोपाल दिनांक 05.07.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कार्यालय जबलपुर द्वारा संविदा के एक पद पर वाहन चालक (अनारक्षित) पर नियुक्ति की जाना है । जिस हेतु ऑफ लाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए संचालनालय की बेबसाइट पर कृपया संलग्न विज्ञापन अपलोड कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सी0के0साधव)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर

कार्यालय संयुक्त संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर

—:विज्ञप्तिः—

जबलपुर जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश के अंर्तगत निम्नानुसार वाहन चालक के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः—

कमांक	पद का नाम	श्रेणी	संविदा वेतन	रिक्त पद	वर्ग	आयु
1	वाहन चालक	तृतीय	रू0 7500/—	01	अनारक्षित	जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम और अधिकतम तक आयु 21 वर्ष और 40 वर्ष होगी(शेष आयु संबंधी शर्ते शासन के आदेशानुसार मान्य होगी)

आवश्यक अर्हताः—

हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा भारी मोटरयान चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति

वांछनीय अर्हताः—

2 वर्ष या इससे अधिक वर्षों का अनुभव

पदों की आवश्यक अर्हता के संबंध में विस्तृत विवरण शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की बेवसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में सायं 5:30 बजे तक ऑफ लाईन कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ब्लाक कमांक 15, सिविक सेंटर मढाताल जिला कार्यालय जबलपुर में जमा किये जावेंगें। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित है।

कार्यालय संयुक्त संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर मे वाहन चालक के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
ब्लाक कमांक 15,
सिविक सेंटर मढाताल जिला–जबलपुर

वाहन चालक हेतु जारी विज्ञप्ति क. ....दिनांक..

1.आवेदक का नाम–..

2. पिता/पति का नाम–..

3. जन्म की दिनांक–..................................दिनांक 01.01.2014 को आयु.....................वर्ष...............माह.............दिन.....................

4. श्रेणी ....

5. क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं? (हॉ या नहीं में उत्तर दें)..
..

6. स्थाई पता ....

(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित)..

7. पत्राचार का पता ....

(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित)..

8. मोबाईल/फोन नम्बर..

9. आधार कार्ड नम्बर (यदि हो तो)–..

10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण–

सक.	उत्तीर्ण कक्षा	बोर्ड/स्कूल/संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	श्रेणी
1.					
2.					

11. कार्य अनुभव का विवरण :–

स. क.	संस्था का नाम	अवधि	प्रमाण पत्र (यदि कोई हो तो)
1.			
2.			

12. क्या आपके विरूद्व आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा लंबित रहा है अथवा पूर्व दोषसिद्व/दण्डित हैं (यदि हों तो विवरण दें)–

स. क्र.	प्रकरण क्रमांक	धाराएं	न्यायालय का नाम	नियत/निर्णय दिनांक	रिमार्क/दण्ड
1.					
2.					

निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां आवेदन के साथ संलग्न किया जाना हैः–

1. जन्म प्रमाण पत्र (यदि न हो तो बोर्ड परीक्षा की अंकसूची/प्रमाणपत्र)
2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त)
3. शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी प्रमाण पत्र
4. आवेदक का नवीन एवं रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
5. जाति प्रमाण पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त)
6. ड्राईविंग लायसेंस
7. अन्य प्रमाण पत्र की संख्या (यदि हो)

स्थान/Place.......................................   आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

दिनांक/date...   Name & Signature of candidate

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है। उपरोक्त समस्त जानकरी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही व संपूर्ण है। यदि मेरा आवेदन विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय में नहीं पहुंचता है अथवा किसी भी स्तर पर आवेदन में कोई भी जानकारी असत्य और/अथवा अपूर्ण पाई जाती है अथवा मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई जाती है तो मेरे विरूद्व कार्यवाही की जाकर मेरा आवेदन किसी भी प्रक्रम पर निरस्त कर, मेरा प्रवेश, चयन और अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है अथवा मुझे पद से हटाया जा सकता है।

स्थान/Place.......................................   आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

दिनांक/date...   Name & Signature of candidate

संविदा सेवा की शर्तें:—

(1) चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल बाद नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रूपये (पचास रूपये) के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करेगा. अनुबंध के निष्पादन पर उपगत होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा.

(2) किसी व्यक्ति के लिए यह अनवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करने हेतु विभाग द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जाएगा.

(3) संविदा अधिकारी/कर्मचारी को अपने अच्छे चरित्र एवं उसके विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न होने के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा. शपथ–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विरूद्व जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताए तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त कर देगा.

(4) संविदा के पद का कार्यभार ग्रहण करते समय पदधारी को शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड/सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति उसकी संविदा सेवा की कालावधि के लिए पंशन प्रसविधाओं (लाभों) का हकदार नहीं होगा.

(6) संविदा का पदधारी शासकीय सेवा में नियमितिकरण का हकदार नहीं होगा किन्तु वह प्रचलित भरती नियमों के अंतर्गत सीधी भरती के पदों पर आवेदन कर सकेगा.

(7) संविदा नियुक्ति, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह के संविदा वेतन का भुगतान किया जाकर समाप्त की जा सकेगी.

(8) इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्ति गृहभाड़ा भत्ता या किन्हीं अन्य भत्तों के हकदार नहीं होंगे.

(9) संविदा पदधारी एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे.

(10) संविदा सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति आदेश में विर्निदिष्ट किए गए अनुसार होंगीं.

(11) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के समान पदों के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी.

(12) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी.

निरर्हताएं–

(क) वह किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी अर्द्धशासकीय या शासकीय संगठन द्वारा सेवा के अयोग्य ठहरा दिया गया हो:

(ख) वह नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध का दोषी पाया गया हो:

(ग) वह किसी आपराधिक मामले में अथवा महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध में दोषसिद्व ठहरा दिया गया हो:

(घ) उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों और महिला अभ्यर्थियों के मामले में यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो जिसकी पूर्व पत्नी जीवित हो:

(ड) उसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो: